(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 18/2024

रजिस्ट्रेशन सं. :– 2024/53

बउनवान

राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री सुनिल गालव पुत्र श्री देवकीनन्दन गालव उम्र 37 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी– 243, डीस्लेरी रोड खेडलीगंज अटरू जिला बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– पार्थ किराना स्टोर, खेडलीगंज अटरू जिला बारॉ
2. मैसर्स– पार्थ किराना स्टोर, खेडलीगंज अटरू जिला बारॉ
3. मैसर्स– हर्षा प्रोटीनस, ए–21, रिद्वी–सिद्वी नगर बून्दी रोड कुन्हाडी कोटा।

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– श्री पंकज कुदेलिया अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1 ता 3)

निर्णय दिनांक 15.04.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2023 को मैसर्स– पार्थ किराना स्टोर, खेडलीगंज अटरू जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री सुनिल गालव पुत्र श्री देवकी नन्दन गालव (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूॅ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 24 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु **कुकिंग मिडियम (Girdhar) 500 एम0एल0 मूल पॉली पैक** लग[illegible]कि रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। [illegible] के पर **कुकिंग मिडियम (Girdhar) 500 एम0एल0 मूल पॉली पैक** में मिलावट व मि[illegible] नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु [illegible]5ए की प्रति स्वतंत्र [illegible] की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आ[illegible] के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा **कुकिंग मिडियम (Girdhar) 500 एम0एल0 मूल पॉली पैक के 04 पैकिट** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री दीपक जैन पुत्र श्री बहादुर मल जैन (विक्रेता एवं मालिक) को 400/– रूपये (अक्षरे चार सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने खरीदशुदा **कुकिंग मिडियम (Girdhar) 500 एम0एल0 मूल पॉली पैक के 04 पैकिट** के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1817 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1817 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री दीपक जैन पुत्र श्री बहादुर मल जैन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/213 दिनांक 10.05.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 796/PHL/Kota/Act/2023/791 दिनांक 04.05.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(Zx) के तहत **कुकिंग मिडियम (Girdhar) 500 एम0एल0 मूल पॉली पैक अवमानक** (Substandard) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 01.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 4 द्वारा स्वंय उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। अप्रार्थी क्रम 5 व 6 की ओर से श्री नमोकार जैन प्लांट मैनेजर द्वारा मय ऑथोराईजेशन लेटर के उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा **कुकिंग मिडियम (Girdhar) 500 एम0एल0 मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (Substandard) होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस अप्रार्थी क्रम [illegible] की ओर से प्रस्तुत जवाब के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी जांच रिपोर्ट का प्रतिवाद करता है और प्रार्थी को नोटिस जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है वह न्यायोचित नहीं है तथा गलत व मिथ्या होने के कारण प्रार्थी पर बाध्य नही है ओर काबिल निरस्त है क्योकि ना तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नियमानुसार कुकिंग मीडियल गिरधर का नमूना लेने की कार्यवाही की ओर ना ही नमूने की जांच निर्धारित मानक के अनुसार हुई है और ना ही प्रार्थी को नमूना पुनः जांच का फंडामेंटल अधिकार दिया गया है। यह कि अभिहित अधिकारी ने नियमानुसार प्रार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति निर्धारित धारा 46 (4) एफएसएस एक्ट के नोटिस के साथ न देकर प्रार्थी को उसके नमूना की पुनः जांच के फंडामेंटल अधिकार से वंचित कर दिया है। अभियोजन पक्ष ने कोई रजिस्ट्री की रसीद या पावती रसीद प्रार्थी के नाम की पेश नही की है कि प्रार्थी को नोटिस धारा 46 (4) एफएसएस एक्ट का प्राप्त हो गया हो ओर जब तक प्रार्थी को नोटिस के साथ जांच रिपोर्ट मिलना साबित नही होता है तब तक प्रार्थी के निर्णय उपरोक्त प्रकरण मे फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट बाबत कोई कार्यवाही नही चल सकती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

क्योकि प्रार्थी को श्रीमान का नोटिस मिलने के पश्चात ही पत्रावली की जानकारी होने पर जांच रिपोर्ट देखने पर यह ज्ञात हुआ है कि नमूने के कोई कमी बताई गई है जबकि ऐसी कोई कमी नमूने मे नही थी एवं प्रार्थी फूड एंड लिस्ट की इस जांच रिपोर्ट से संतुष्ट न होने के कारण नमूने के दूसरे भाग की जांच रेफरल फूड लेबोरेट्री से करवाना चाहता था, परन्तु प्रार्थी को पुनः जांच का अवसर न देकर अभियोजन पक्ष ने प्रार्थी को उनके फंडामेंटल अधिकार से वंचित कर दिया है। प्रकरण मे कुकिंग मिडियम (Girdhar) जो कि वनस्पति के अन्तर्गत आता है जिसको पिघलाकर एक समान पर नमूने मे लेना चाहिये था, जिससे उसके सभी तत्व समान रूप से आ सके तथा नियमानुसार नमूने की जांच की जा सके। प्रार्थी वनस्पति का स्वयं निर्माता नही है बल्कि प्रार्थी को अन्य संस्थान से वनस्पति का क्रय कर उक्त खाद्य पदार्थ कुकिंग मिडियम (Girdhar) का विक्रय करता है तथा उक्त वनस्पति मे कोई कमी पाई गई है तो उसके लिए जिम्मेदार नही माना जा सकता। परिवाद स्टेट सेन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री जयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर दायर किया गया है। उक्त लेबोरेट्री मान्यता प्राप्त ही है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 796/PHL/Kota/Act/2023/791 दिनांक 04.05.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थी क्रम 1 व 6 को को जर्ये पत्र क्रमांक 213 दिनांक 10.05.2023 से लेबोरेट्री की समय पर रिपोर्ट भिजवाई जाकर सूचित किया एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है। प्रकरण मे करवाई गई रजिस्ट्री की रसीद पत्रावली मे उक्त पत्र के पीछे चिपकाई गई है। प्रकरण मे राज्य सरकार एवं एफ.एस.एस.ए. आई. दिल्ली से मान्यता प्राप्त लेबोरेट्री से जांच हुई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया **कुकिंग मिडियम (Girdhar) 500 एम0एल0 मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 796/PHL/Kota/Act/2023/791 दिनांक 04.05.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (Substandard) होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी क्रम 03 को कुल जुर्माना राशि 1,00,000/—रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 03 उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **15.04.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:57:53 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)